3

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

आदेश

संख्या–06 / रा0व्या0–05 / 2015 / व0प0, राँची / दिनांक–

विभागीय आदेश संख्या–3375 दिनांक–26.06.2015 एवं सहपठित शुद्धि पत्र संख्या–3375 (A), दिनांक–26.06.2015 के द्वारा वृक्षों के पातन के उपरांत प्राप्त होने वाले काष्ठ, जलावन इत्यादि के परिवहन को विनियमित करने संबंधी प्रक्रिया के क्रम में समय सीमा के अंतर्गत निरीक्षण के पश्चात् प्रतिवेदन विभागीय Online Portal पर 48 घंटे के अंतर्गत Upload करना सुनिश्चित किया जाय।

2. ऊपर वर्णित आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3. उक्त आदेश की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

ह0 / –
(ए0 के0 रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–06 / रा0व्या0–05 / 2015 / व0प0, राँची / दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि0, राँची / सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड / निदेशक, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड / सभी वन संरक्षक, झारखण्ड / सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–06 / रा0व्या0–05 / 2015 1052 / व0प0, राँची / दिनांक– 24/02/2016

प्रतिलिपि–विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई गवर्नेन्स की राज्य Portal तथा वन संरक्षक, वनरोपण शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को विभागीय Website Forest.Jharkhand.gov.in पर Upload करने हेतु प्रेषित।

24/2
सरकार के विशेष सचिव